राजधानी की गंदी नदी यमुना

अमीता बाविस्कर

यमुना दिल्ली के बीच से बहती है मगर अधिकतर नागरिकों को नज़र नहीं आती। यहां तक कि पूर्वी दिल्ली के बाशिंदे, जिनकी बस्ती को जमुना-पार की संज्ञा दी गई है, भी इस नदी को जानते हैं तो इस रूप में कि यह एक बाधा है जिसके तंग पुल को पार करके जाना पड़ता है।

महत्वाकांक्षा

दिल्ली सरकार हालात बदलना चाहती है। यदि टेम्स के बल पर लंदन में साउथ बैंक का विकास हो सकता है, तो यमुना का किनारा यानी 22 कि.मी. लम्बा वीरान जलोढ मैदान एक जगमगाता स्पोर्ट्स संकुल, सांस्कृतिक केंद्र, शॉपिंग मॉल और जश्न स्थल क्यों नहीं बन सकता? आखिर यह दिल्ली के बीचों बीच कीमती ज़मीन है और इसका विकास इस तरह करने की ज़रूरत है जो 'एक विश्वस्तरीय महानगर व प्रमुख शहर' की शान के अनुरूप हो। नदी को उसकी वर्तमान बदहाली से निजात दिलाने के लिए कई योजनाएं तैयार हैं। सबसे महत्वाकांक्षी योजना है इसके किनारे 118 एकड़ का खेल गांव बनाने की जिसमें 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान आने वाले 8500 एथलीट्स और अन्य खिलाड़ियों को ठहराया जाएगा। यह परियोजना शुरू होने को ही है और नदी तट का कायापलट लगभग तय है। इस मौके पर शहरी महत्वाकांक्षा और नदी की इकॉलॉजी के परस्पर सम्बंधों और दिल्ली की भूमि व जलराशियों को नया रूप देने की राजनीति पर सावधानी से विचार करना ज़रूरी हो जाता है।

शहरी महत्वाकांक्षा और नदी की इकॉलॉजी के परस्पर सम्बंधों और दिल्ली की भूमि व जलराशियों को नया रूप देने की राजनीति पर सावधानी से विचार करना ज़रूरी हो जाता है।

राष्ट्रमंडल खेल

राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का अवसर मिलना और अन्य प्रतिस्पर्धाओं - जैसे 2014 के एशियाई खेल और, सांस थामकर रखिए, 2016 के ओलंपिक - के आयोजन की संभावना का ढिंढोरा दिल्ली व भारत की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पीटा जा रहा है। राष्ट्र की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, इसलिए वित्तीय गांठ थोड़ी ढीली की गई है और राज्य को 3000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का आश्वासन मिला है। रसीले ठेकों की भनक लगते ही सार्वजनिक और निजी उद्यमी खेलों के आसपास ऐसे मंडराने लगे हैं, जैसे गिद्ध और कौए नदी किनारे कचरे के ढेरों पर मंडराते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण एक रग्बी स्टेडियम (रग्बी? और दिल्ली में?) और

कुश्ती व सैन्य कलाओं के लिए एक अलग स्टेडियम बनाना चाहता है। प्राधिकरण यमुना के नीचे सुरंग खोदकर एक भूमिगत सड़क बनाने पर भी विचार कर रहा है जो खेल गांव को नेहरु स्टेडियम से जोड़ेगी। उप राज्यपाल की इच्छा है कि प्राधिकरण 8-9 पांच सितारा होटलों के लिए भूमि विकास कार्य में तेज़ी लाए। होड़ में पीछे न रहते हुए, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने प्रस्ताव दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य दिल्ली में 250 एकड़ भूमि को विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, जहां व्यापारियों को टैक्स नहीं देना होगा और ज़मीनें मुहमांगी कीमतों पर मिलेंगी।

भूमि हड़पो ही एकमात्र खेल नहीं है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों से पहले सरकारी ज़मीन पर 1000 मेगावॉट का एक निजी बिजली संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। चूंकि बिजली व पानी का निजीकरण दिल्ली में एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को सफाई व चालाकी से राष्ट्रमंडल खेलों की फाइल में जोड़ दिया गया है, जहां सर्वोच्च प्राथमिकता, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, सुपरपॉवर हैसियत जैसे लेबलों के दम पर यह बगैर ज़रूरी छानबीन के पार लग जाएगा। क्या दिल्ली को और ऐसे पांच सितारा होटलों और स्टेडियम की ज़रूरत है, जो सार्वजनिक ज़मीन पर जनता के पैसे से बनाए जाएंगे? क्या हमें इतनी भारी कीमत पर बिजली चाहिए जबकि व्यापारियों को टैक्स में रियायतें मिलेंगी? राष्ट्रमंडल खेलों के इर्द-गिर्द चल रही गहमा गहमी में ऐसे सवालों को 'देशप्रेम के विरुद्ध' कहना आम बात है।

दिल्ली के दोहरे मापदण्ड भूमि उपयोग के संदर्भ में साफ नज़र आते हैं। यमुना किनारे से गरीबों के छोट-छोटे घर हटाए गए हैं, वहीं अन्य इमारतों को छोड़ दिया गया है।

राष्ट्रमंडल खेलों के साथ विकास का जो जोश दिख रहा है वह दिल्ली के अतीत के एक और दौर की याद दिलाता है - 1982 के एशियाई खेल - जब राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के नाम पर भूमि प्रबंधन के सामान्य नियमों को ताक पर रख दिया था। 1982 के एशियाई खेलों के आयोजन की तैयारियों में दिल्ली मास्टर प्लान का गंभीर उल्लंघन करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्टेडियम और फ्लाई ओव्हर्स का निर्माण किया था। इन स्मृतियों को टटोलने से हमें इस बात का अंदाज़ लगेगा कि राष्ट्रमंडल खेलों पर खर्च किए जाने वाले 3000 करोड़ का क्या हश्र होने वाला है। नदी के किनारे बना इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम, जिसकी हटाई जा सकने वाली छत को टेक्नॉलॉजी का एक करिश्मा माना जाता है, आजकल कभी-कभार बॉलीवुड नाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी छत जंग लगकर जड़ हो चुकी है। खिलाड़ी भवन समय पर बनकर तैयार नहीं हो सका था और 15 सालों तक वीरान पड़ा रहा था। यह नदी किनारे एक कांक्रीट के प्रेत के समान खड़ा रहा जब तक कि दिल्ली सचिवालय के रूप में इसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। प्राधिकरण ने सिरि फोर्ट में खेल गांव के मकानों पर काफी ऊर्जा व पैसा खर्च किया था जो एथलीट्स के एक माह के निवास के बाद उच्च अधिकारियों को आवंटित कर दिए गए थे। आज ल्यूटेन्स ज़ोन के बाद ये सबसे आलीशान आवास हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के बाद भी जूठन का ऐसा ही बंटवारा हो, तो अचरज की बात नहीं होगी।

प्राथमिकताएं

1982 से पूर्व निर्माण की गहमा गहमी के चलते दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर आए थे जो यहीं रुक गए थे और आज वे अपनी ही बनाई आलीशान इमारतों के साये में फटेहाल हालात में जी रहे हैं। दिल्ली सरकार ने शहर की कामगार आबादी के खिलाफ जो सिविल युद्ध छेड़ रखा है, वह इस तरह के पक्षपाती भूमि प्रबंधन पैटर्न की विरासत है जो गरीबों के आवास से ज़्यादा महत्व आभिजात्य प्रोजेक्ट्स को देता है। पिछले वर्ष मज़दूर वर्ग के 1 लाख से ज़्यादा लोगों को यमुना पुश्ता से जबरन हटाया गया था। इनमें से अधिकांश लोग बेघर हो गए थे क्योंकि इस शहर में कम आमदनी वालों के लिए ऐसा कोई आवास नहीं है जो सस्ता और वैध हो। इससे पहले लाल किले के परकोटे के आसपास भरने वाले इतवारा बाज़ार को यह कहकर प्रतिबंधित

कर दिया गया था कि इससे 'ऐतिहासिक स्मारक की भव्यता बिगड़ती है'। इस बाज़ार के ग्राहक यमुना पुश्ता बस्तियों के बाशिंदे ही थे। अब इसके निकट की ज़मीन का उपयोग दिल्ली हाट की तर्ज़ पर शॉपिंग-कम-कल्चरल कॉम्प्लेक्स के लिए किया जाएगा। दिल्ली के दोहरे मापदण्ड भूमि उपयोग के संदर्भ में साफ नज़र आते हैं।

जहां यमुना किनारे से गरीबों के छोट-छोटे घर हटाए गए हैं, वहीं अन्य इमारतों को छोड़ दिया गया है। इनमें विशालकाय अक्षरधाम मंदिर, चार बिजली संयंत्र और आलीशान दिल्ली सचिवालय शामिल हैं। और अब राष्ट्रमंडल खेल गांव इनके साथ होगा। यह एक और पसरी हुई इमारत होगी जो यमुना की इकॉलॉजी पर दबाव डालेगी। ये ढांचे यमुना के कछार की महीन रेतीली मिट्टी पर अपने निशान छोड़ती हैं जो यमुना अपने साथ अरावली पर्वतों के चट्टानी क्षेत्रों से बहाकर लाती है। सदियों से यह भूमि भूजल पुनर्भरण में भूमिका निभाने के अलावा सब्ज़ियां उगाने वालों और सैकड़ों पक्षी प्रजातियों को सहारा देती रही है। इस जगह की रेतीली मिट्टी और बाढ़ के खतरे के कारण इस भूमि के अत्यधिक दोहन पर रोक लगी रही। मगर ज़मीन के दाम बढ़ने के साथ, अब यमुना तट को एक आंतरिक इकॉलॉजिकल मोर्चे के रूप में देखा जा रहा है, जिसे फतह करना है। लिहाज़ा सरकार नदी का मार्ग परिवर्तन करने और ज़मीन को रीक्लेम करने की बातें कर रही है। और इसके लिए लंदन व पैरिस और अन्य सम्पन्न देशों के जलमार्गों के उदाहरण दे रही है। मगर यमुना टेम्स नहीं है, न ही साइन है। यमुना की विशिष्ट लय भारतीय उपमहाद्वीप के मौसमों से बंधी है। इसका अधिकांश प्रवाह मानसून के दौरान होता है, यदि इसे इसके मौजूदा उपजाऊ विस्तार से वंचित किया गया तो यह किनारों को तोड़ भी सकती है। न्यू ओर्लियन्स की बाढ़ें तो एक ताज़ा उदाहरण हैं कि किसी नदी के कछार में इमारतें बनाने के क्या परिणाम हो सकते हैं; उत्तरी दिल्ली और पुश्ता के बाशिंदे भी जानते हैं कि तेज़ी से उफान पर आती नदी किस तरह के खतरे पैदा कर सकती है। गर्मियों में खुलने वाला नदी का सूखा कछार शायद बिल्डरों को लुभाता हो, मगर बारिश आने के साथ ज़मीन और पानी के बीच का विभाजन धुंधला पड़ जाता है। जैसा माइक डेविस ने स्पष्ट किया है, कुदरत कोई जड़ पृष्ठभूमि नहीं है जिस पर इन्सान अपने क्रियाकलाप संचालित करें। यह बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कुदरत की अपनी गति होती है, अखण्डता होती है, अन्यथा विश्वस्तरीय महत्वाकांक्षा यमुना के फिसलते पेंदे में लड़खड़ा जाएगी।

प्रमुख समस्या

यह सही है कि नदी का अपना जीवन होता है मगर यह कोई अपरिवर्तित इकाई नहीं है। अपने पूरे मार्ग में यमुना का नियमन किया जाता है, उसमें फेरबदल किए जाते हैं, उसके पानी को खेती, घरेलू व औद्योगिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है, तो इसका लगभग सारा ताज़ा पानी वज़ीराबाद बराज के ज़रिए पेयजल हेतु मोड़ दिया जाता है। इसके नीचे लगभग पूरे साल दिल्ली में नदी खालिस मल की एक धारा है। यमुना में मिलने वाले 19 नाले प्रतिदिन इसमें करीब 134.1 करोड़ लीटर अपशिष्ट पानी लाते हैं। और यह आंकड़ा उन दिनों का है जब 15 मलजल उपचार संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहे हों, जो वे आम तौर पर नहीं करते। दिल्ली वह शहर है जो देश के समस्त वर्ग-2 के शहरों के कुल मलजल से अधिक मलजल उत्पन्न करता है और इसका आधा मलजल अनुपचारित बहा दिया जाता है। विडंबना यह है कि इतना अपशिष्ट पानी तो दिल्ली की आधी आबादी पैदा करती है, शेष आधी आबादी उन इलाकों में रहती है, जहां मलजल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है।

इस प्रदूषण की मात्रा और तीव्रता बताने की ज़रूरत नहीं है मगर इस पर कभी ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया गया है। न्यायालय के आदेशों के बाद आनन-फानन नदी किनारे बसे लोगों को हटाने या उद्योग बंद करने जैसे कदम उठाए जाते हैं। काफी ज़ोर-शोर से घोषित यमुना एक्शन प्लान के तहत 700 करोड़ की लागत से 1-1 करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता के दो मलजल उपचार संयंत्र और झुग्गी बस्तियों में 956 सामुदायिक शौचालय बनाए

गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि शौचालय अच्छी चीज़ है, मगर जो लोग इनका उपयोग कर रहे हैं वे पहले दिल्ली की अपशिष्ट जल प्रणाली में कोई वृद्धि नहीं कर रहे थे, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि इनसे यमुना में प्रदूषण कम करने में मदद कैसे मिलेगी।

जानी-पहचानी शैली में यमुना एक्शन प्लान ने भी पर्यावरणीय अपराधों के लिए गरीबों को ही संदेह के घेरे में लिया। कोर्ट के आदेशों और विदेशी सहायता प्राप्त बड़े-बड़े कार्यक्रमों के बावजूद दिल्ली में आज भी मलजल उपचार की व्यवस्था का शोचनीय अभाव है। हर साल मुख्य मंत्री और कुछ उत्साही लोग नदी किनारे से कचरा उठाते हैं। इसके फोटो तो बहुत अच्छे आते हैं मगर इस तरह की सांकेतिक क्रियाओं में यह बात पूरी तरह छिप जाती है कि चाहे जितनी पोलीथीन की थैलियां उठाकर फेंक दी जाएं, इससे यमुना में प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत - अनुपचारित अपजल - पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शायद यह सोचकर प्रशासन में थोड़ी सक्रियता आ जाए कि विदेशी एथलीट्स नदी किनारे ठहराए जाएंगे और इसकी बदबू पर वे नाक-भौं सिकोड़ेंगे। अलबत्ता अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में किसी ने भी मलजल उपचार संयंत्रों का ज़िक्र नहीं किया है।

दिल्ली में यमुना को सैलानियों व शहरी धनाढ्य आबादी के लिए किसी भारी-भरकम निर्माण कार्य, जिनके लिए गरीबों को बुलडोज़रों से हटाया जाता है, की दरकार नहीं है। ज़रूरत है सफाई के सच्चे प्रयासों की जो मलजल और औद्योगिक प्रदूषण के मुद्दों से निपटें। पानी की गुणवत्ता बहाल करने से न सिर्फ नदी का पानी उपयोग करने वाले लाखों लोगों को फायदा होगा, बल्कि इससे यमुना जैव विविधता के लिए अद्‌भुत आवास भी बन पाएगी।

अधकचरी नकल

दिल्ली को कुदरत की दो अनुपम सौगातें मिली हैं - वनाच्छादित दिल्ली रिज और यमुना नदी। इन दोनों की ही साज-संभाल अभी संभव है। किसी अन्य शहर में न तो जंगल का ऐसा विस्तार है, न कछार का। हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि दिल्ली में आज भी युरोपियन ब्लूथ्रोट और ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं। पाश्चात्य महानगरों की आधी-अधूरी नकल - यानी शॉपिंग माल और स्टेडियम तो बनाना मगर मलजल उपचार की उपयुक्त व्यवस्था न बनाना - से पता चलता है कि सुपरपॉवर बनने की हमारी महत्वाकांक्षा कितनी उथली है।

बहरहाल यदि हम अंततः यमुना के लिए लंदन मॉडल को अपना ही लेते हैं, तो मेरा एक सुझाव है। टेम्स के दक्षिणी तट पर एक विशाल पुराने बिजली संयंत्र में टाटा मॉडर्न आर्ट गैलरी स्थापित की गई है जो पुरानी चीज़ का नया उपयोग करने में कल्पनाशीलता की एक मिसाल है। उत्तरी दिल्ली में तिमारपुर के पास एक भीमकाय संयंत्र है जो कचरे से ऊर्जा पैदा करने के लिए बनाया गया था। एक बड़े से तलछटीकरण तालाब और आउटर रिंग रोड के बीच यह एक जहाज़ के समान दिखता है। इसकी ऊंची चिमनी मीलों दूर से नज़र आती है। 1984 में डेनमार्क सरकार से मिला यह तोहफा ठीक 21 दिन चला था और उसके बाद इसकी मशीनरी ठप हो गई थी। ज़ाहिर है, इसे स्कैण्डिनेविया के मल प्रवाह के अनुरूप डिज़ाइन किया गया था; हमारा देसी सम्मिश्रण इसके लिए ज़रा ज़्यादा ही साबित हुआ। अब दिल्ली सरकार चाहे तो इस जंग खाते दैत्य को स्टेडियम या उत्सव केंद्र या सांस्कृतिक संकुल में तबदील कर सकती है। ***(स्रोत विशेष फीचर्स)***